



# HAMIRPUR POLICE



## METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर जानबूझ कर सम्पत्ति में आग लगाने वाले 02 अभियुक्तों को 07-07 वर्ष के सश्रम कारावास व ₹28,000 के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा० न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना ललपुरा में पंजीकृत मु०अ०सं०- 314/2012 धारा- 435,427.323.504 भा०द०सं०, व 3(1)10 एससी/एसटी एक्ट में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा० न्यायालय एससी/एसटी एक्ट कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त 1.धर्मेन्द्र सिंह चौहान पुत्र शिवसेर सिंह चौहान नि० ग्राम पारा कण्डौर थाना कुरारा जनपद हमीरपुर 2.वरदानी निषाद पुत्र रामपाल नि० टीकापुर थाना ललपुरा जनपद हमीरपुर को दोषसिद्ध करते हुए 07-07 वर्ष के सश्रम कारावास व ₹28,000 के अर्थदंड से दण्डित किया गया।



अभियोजक-  
विशेष लोक अभियोजक  
श्री विजय सिंह



विवेचक-  
सीओ पंकज कुमार  
पाण्डेय



पैरोकार- थाना ललपुरा  
हे०का० धर्मेन्द्र सिंह